<u>प्रेस नोट – 32</u>

दिनांक- 15.01.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों मे **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 149/95 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त देवराज पाण्डेय पुत्र रामसुन्दर पाण्डेय नि0 पूरे रामदीन मजरे असैदापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एफटीसी/एसडी प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 15.01.2025 को धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि तथा 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रमेश सिह राठौर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा बरामद होने पर दिनांक 23.02.1995 को समय 04.00 बजे थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 149/95 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री उमाशंकर द्विवेदी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-27 दिनांक 17.03.1995 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।